



सूचना/NOTICE

सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि संस्थान परिसर, छात्रावासों और संस्थान से संबद्ध किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार की रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। रैगिंग एक दंडनीय अपराध है और रैगिंग करने और/या रैगिंग को बढ़ावा देने का दोषी पाए जाने पर **यूजीसी विनियमों** और **भारतीय दंड संहिता** के प्रावधानों के अनुसार दंड का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की समस्या को रोकने के लिए **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)** से प्राप्त निर्देशों और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, संस्थान **12 अगस्त 2025** को राष्ट्रीय रैगिंग विरोधी दिवस मनाएगा, जिसके बाद एक सप्ताह तक रैगिंग विरोधी सप्ताह मनाया जाएगा। इसलिए, सभी छात्रों को www.antiragging.in पर उपलब्ध रैगिंग से संबंधित दिशानिर्देशों, निवारक उपायों और परिणामों को ध्यानपूर्वक पढ़ने का निर्देश दिया जाता है।



आपात स्थिति में, रैगिंग के कारण संकटग्रस्त छात्र या **अभिभावक रैगिंग विरोधी समिति** के किसी भी सदस्य से संपर्क कर सकते हैं, जिनका विवरण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

This is for the information of all students that ragging in any form is strictly banned within the Institute premises, hostels and any place associated with the Institute. Ragging is a criminal offence and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging is liable to be punished under the **UGC Regulations** and as per the provisions of the **Indian Penal Code**.

Further, as per the directives received from the **University Grants Commission (UGC)** for curbing the menace of ragging in higher educational institutions and pursuant to the approval of the competent authority, the Institute will be observing **National Anti-Ragging Day on 12th August 2025**, followed by a week-long observance of **Anti-Ragging Week**. Therefore, all students are directed to go through the guidelines, preventive measures and consequences related to ragging available at www.antiragging.in.

In case of emergency, students or parents in distress owing to ragging may contact any member of the **Anti-Ragging Committee**, whose details are available on the Institute website.

यह सभी छात्रों द्वारा सख्त अनुपालन के लिए जारी किया गया है। **This is issued for strict compliance by all students.**


**डीन छात्र कल्याण/
Dean Students Welfare**


नं./No: NIT/DSW/2025/ **561**
दिनांक/Dated: 11-08-2025

प्रतिलिपि/Copy to:

1. सभी डीन, एचओडी, एचओसी सूचना एवं प्रसार हेतु। All Deans, HoDs, HoCs for information and circulation.
2. अध्यक्ष सीएससी को इस परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए। Chairman CSC for uploading this notice on the Institute Website.
3. निदेशक के विशेष सचिव कृपया निदेशक की जानकारी के लिए। Special Secretary to Director for information of the Director please.
4. कृपया रजिस्ट्रार की जानकारी के लिए/P.S to Registrar for information of the Registrar.
5. सभी वार्डन की जानकारी एवं संचलन के लिए / All Wardens for information and circulation.
6. सभी हॉल सहायकों को जानकारी एवं संचलन के लिए / All Hall Assistants for information and circulation.
7. सभी नोटिस बोर्ड | All notice boards.